सचिका स0–7 / बजट–46–26 / 2021 – 57 (7)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

पटना, दिनाक– 30/05/2025

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत संविदागत नियोजित आयुष चिकित्सकों (एन०आर०एच०एम० एवं आर०बी०एस०के०) को एलोपैथ प्रक्षेत्र के संविदागत चिकित्सकों के समान स्वीकृत मानदेय के उपरांत स्वीकृत राशि के अतिरिक्त Top Up Fund के रूप में कुल रु० 33,83,99,591/– (रुपये तेतीस करोड़ तिरासी लाख निन्यानवे हजार पाँच सौ इक्यानवे) मात्र राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित विमुक्ति की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के सबध मे कहना है कि राज्य के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो एव प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो मे संविदा के आधार पर आयुष (आयुर्वेद, यूनानी एवं होमियोपैथ) चिकित्सक (एन०आर०एच०एम० एव आर०बी० एस०के०) कार्यरत है। अभी तक इनके मानदेय की प्रतिपूर्त्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) अतर्गत भारत सरकार से प्राप्त आवटित राशि (60 40) समानुपातिक आधार पर राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से की जाती रही है। स्वास्थ्य विभागीय आदेश ज्ञापाक–1577(आ0चि0), दिनाक 07.12 2018 द्वारा आयुष चिकित्सको का मानदेय एलोपैथ चिकित्सको के मानदेय के समान 44000/– (चौवालीस हजार) स्वीकृत किया गया था, जिसे पुन स्वास्थ्य विभागीय आदेश ज्ञापांक–1216 (आ0चि0), दिनांक 28 10 2022 द्वारा परिवर्द्धित करते हुए आयुष चिकित्सको का मानदेय एलोपैथ चिकित्सको के मानदेय के समान 65000/– (पैसठ हजार) स्वीकृत किया गया है। केन्द्राश की राशि आयुष मत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध नही कराये जाने की स्थिति में Top Up Fund के तहत केन्द्राश की राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा **राज्य योजना/राज्यांश मद से** वहन किये जाने पर सहमति प्राप्त है।

2– अभी एन0आर0एच0एम0 (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन) के तहत नियोजित आयुष चिकित्सकों का स्वीकृत बल 1544 है जिसके विरूद्ध 1086 कार्यरत है। आर0बी0एस0के0 (राष्ट्रीय बल सुरक्षा कार्यक्रम) के तहत नियोजित आयुष चिकित्सको का स्वीकृत बल 2136 है जिसके विरूद्ध 1362 कार्यरत है। स्वास्थ्य विभागीय आदेश ज्ञापाक–1216, दिनाक 28.10 2022 से आयुष चिकित्सको का मानदेय 65,000/–(पैसठ हजार) स्वीकृत किया गया है।

3– राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्राक–616, दिनाक–30 04 2025 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025–26 मे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अतर्गत कार्यरत सविदागत नियोजित आयुष चिकित्सको (एन०आर०एच०एम० एव आर०बी०एस०के०) को एलोपैथ प्रक्षेत्र के संविदागत चिकित्सको के समान स्वीकृत मानदेय के उपरात स्वीकृत राशि के अतिरिक्त Top Up Fund के रूप मे कुल रु० 33,83,99,591/– (रुपये तेतीस करोड तिरासी लाख निन्यानवे हजार पॉच सौ इक्यानवे) मात्र की राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

4– अतएव वित्तीय वर्ष 2025–26 मे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अतर्गत कार्यरत सविदागत नियोजित आयुष चिकित्सकों (एन०आर०एच०एम० एव आर०बी०एस०के०) को एलोपैथ प्रक्षेत्र के सविदागत चिकित्सको के समान स्वीकृत मानदेय के उपरात स्वीकृत राशि के अतिरिक्त Top Up Fund के रूप मे बजटीय उपबध के अधीन उपलब्ध राशि कुल रु० 33,83,99,591/– (रुपये तेतीस करोड तिरासी लाख निन्यानवे हजार पॉच सौ इक्यानवे) मात्र राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5– इस राशि का व्यय का वहनराज्य स्कीम–राज्याश मद के माग सख्या–20, मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–उप मुख्य शीर्ष–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाऐं–एलोपैथी, उपशीर्ष–110–अस्पताल तथा औषधालय, उप मुख्य शीर्ष–0305–**एनएचएम के केन्द्रांश मद में प्राप्त कम राशि की राज्य संसाधन द्वारा पूर्त्ति**, विपत्र कोड–20-2210031100305, विषय शीर्ष–31 04 (सहायक अनुदान–वेतन) अतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6– इस राशि की निकासी अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा और नियत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाए, बिहार, पटना होगे।

7— निकासी एव व्ययन पदाधिकारी इस राशि की निकासी बी0टी0सी0 फॉर्म सख्या–46 मे कर खाता अतरण के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पी0एल0 खाता–PBBPLA011एव विपत्र कोड–00-8448001200027-0001 के अन्तर्गत ledger ID--------------मे सुलभ करायेगे। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार विहित प्रक्रिया के अनुसार राशि का व्यय करेगे।

8— राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्त विभाग के परिपत्र सं0–8244, दिनाक–02 08 2010 की कडिका–2(ख) के आलोक मे उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेगे तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, भारत सरकार के कार्यालय को भी भेजेगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम–341 के अनुरूप अकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी।

9— यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभागीय परिपत्र सं0–2561 / वि0(2) दिनाक–17 04 1998, 2419 / वि0(2) दिनाक–05 04 2007, 8593 / वि0(2) दिनाक–27.11.2007, 96 / वि0(2) दिनाक–03 01 2008, 3923 / वि0(2) दिनाक–09 04.2010 एवं 12888 / वि०, दिनाक–03.12 2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

10— प्रस्ताव एव प्रारूप मे अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है ।

11— प्रारूप मे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका सख्या–7 / बजट– 46–26 / 2021 के पृष्ठ–79 / टि0 पर प्राप्त है ।

12— राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी ।

13— राशि की निकासी के मामले मे महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

14— आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

30.5.25

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापाक–7 / बजट– 46–26 / 2021 – 57 (7) / स्वा0, पटना, दिनाक–30 / 05 / 2025

प्रतिलिपि–योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / सभी प्रमडलीय आयुक्त / कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना / सभी जिला पदाधिकारी / निदेशक, आयुर्वेद, होमियोपैथ एव यूनानी / प्राधिकृत पदाधिकारी, आयुष / सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाए / सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार / सबधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– माननीय मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव / सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना / अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग / लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–7 / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.5.25

सरकार के अपर सचिव।

D \sec 7\BUDGET 2025-26\NHM\NHM (Aayush) docx